भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1130

उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025

सोमवार, 21 माघ 1946 (शक)

सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार सृजन

1130. डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

सरकार द्वारा सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार सृजन हेतु उठाए जा रहे कदमों तथा इस संबंध में भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के माध्यम से कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से सीधी संसदीय क्षेत्र सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल उन्नयन और पुनः कौशल विकास के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के गैर-साक्षर, नव-साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई

बीच में छोड़ने वाले लोगों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें दिव्यांगजनों और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु में छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): यह योजना शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत शिक्षुता कार्यक्रम चलाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर कार्यस्थल पर प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई प्रकार के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है।

सीधी संसदीय क्षेत्र के सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिलों में एमएसडीई की उपरोक्त योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है:

पीएमकेवीवाई (प्रारंभन से 31 दिसंबर, 2024 तक)	**जेएसएस** (2018-19 से 26 जनवरी 2025 तक)	**एनएपीएस*** (2018-19 से 31 दिसंबर, 2024 तक)	**सीटीएस** (सत्र 2019 से सत्र 2023 तक)
36,225	11640	4,021	10,644

* प्रशिक्षु नियोजित

****